आदेश पर की बारे में टिप्पणी तारि

# उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

## रे0मि0 अपील वाद सं0 64/2021–22

भवेश मरांडी.....अपीलकर्त्ता

बनाम

श्यामदेव मरांडी.....उत्तरकारी।

### आदेश

22.03.2022

यह रे0मि0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–610/2006–07 में पारित आदेश दिनांक–01.09.2021 के विरूद्ध में दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–**

1. प्रधानी नियुक्ति में कई अनियमितताएँ की गई है।
2. अंचल अधिकारी, मसलिया द्वारा समर्पित सूची में विसंगतियॉ है। बड़े वशंज के स्थान पर अन्य का नाम दर्ज किया गया है।
3. अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित दोनो सूची में जमाबंदी रैयतों की संख्या में अन्तर है। एक सूची में जमाबंदी रैयतों की सं0–33 है एवं दूसरी सूची में जमाबंदी रैयतों की सं0–19 अंकित है।
4. मतदान के तिथि को 2/3 रैयत उपस्थित नहीं थे।
5. 16 आना रैयतों को विधिवत नोटिश नहीं किया गया है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

**अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–**

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेख है कि अंचल अधिकारी, मसलिया से पत्रांक–403/रा0 दिनांक–06.08.2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं पत्रांक–446/रा0 दिनांक–13.08.2021 द्वारा जमाबंदी रैयतों की सूची प्राप्त है। मतदान के तिथि 01.09.2021 को समर्पित सूची में अंकित 22 जमाबंदी रैयतों में 15 जमाबंदी रैयतों द्वारा उत्तरकारी श्यामदेव

मरांडी के पक्ष में मतदान किया गया। शेष उम्मीदवारों को एक भी मत प्राप्त नहीं हुआ। सूची में दर्ज कुल रैयतों का 2/3 से अधिक है। इसी आधार पर उन्हें प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

## प्रावधान

**Sec-5 Appointment of village headman of a khas village.-** On the application of a raiyat or of landlord of any khas village and with the consent of at least two-thirds of the jamabandi raiyats of the village ascertained in the manner prescribed, the Deputy Commissioner may declare that a headman shall be appointed for the village and shall then proceed to make the appointment in the prescribed manner.

**Santhal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950**

**RULES-3 - Rules regarding the manner of ascertaining the consent of jamabandi raiyats and appointment of headman under Section 5.-** (1) On receipt of an application from a raiyat or a landlord under Section 5, the Deputy Commissioner shall issue notice to the *jamabandi raiyats* of the village and to the landlord in Form A.

**(2)** The Consent of atleast two-thirds of the persons recorded as *jamabandi raiyats* of the village shall be ascertained by the Deputy Commissioner by show of hands :

Provided that if on the date so fixed at least two-thirds of the persons recorded as *jamabandi raiyats* of the village fail to be present the Deputy Commissioner shall fix another date and issue fresh notices in the manner prescribed in sub-rules 3(1), if on the date so fixed, at least two-third of the persons recorded as *jamabandi raiyats* again fail to be present the Deputy Commissioner shall summarily reject the application made under Section- 5.

**(3)** The decision of the Deputy Commissioner as to whether a person is entitled to vote or not shall be final.

**(4)** If at least two-third of the persons recorded as *jamabandi raiyats* give their consent for appointment of headman for the village, the Deputy Commissioner

## निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है दिनांक– 30.08.2021 को मतदान न होने की स्थिति में पुनः 16 आना रैयतों को विधिवत नोटिश निर्गत नहीं किया गया है जो S.P.T (Supplementary) Rules 1950 के Rull-3(2) के अनुकूल नहीं है, जिसमें निम्न प्रकार उल्लेखित है :–

Provided that if on the date so fixed at least two-thirds of the persons recorded as *jamabandi raiyats* of the village fail to be present the Deputy Commissioner shall fix another date and issue fresh notices in the manner prescribed in sub-rules 3(1), if on the date so fixed, at least two-third of the persons recorded as *jamabandi raiyats* again fail to be present the Deputy Commissioner shall summarily reject the application made under Section- 5.

प्रधान नियुक्ति समय नियमानुसार मतदान हुआ है अथवा नही, यह भी आदेश में स्पष्ट नही है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है, जो पुर्नविचारणीय है।

## आदेश

उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों एवं प्रावधान के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा पुर्नविचारार्थ इस निदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अंचल अधिकारी से जमाबंदी रैयतों की सूची प्राप्त कर तथा 16 आना रैयतों को विधिवत नोटिस तामिला कराकर प्रधान की नियुक्ति किया जाय।

16/9/22

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.10 13:10:52 +05:30
Location: 169.254.227.244